**Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]**

FORM OF ORDER SHEET

# IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

## Service Appeal No.- 14/2023

**Sonia Bharti ..... Appellant.**

**Versus**

**The State of Bihar & Ors ..... Respondents.**

| Serial No. | Date of order of proceeding. | Order with signature of the court. | Office action taken with date |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 07.12.2023 | **आदेश**<br>प्रस्तुत अपील जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक–604/प्रो0 दिनांक–18.05.2022 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No.-2348/2023 में दिनांक–11.07.2023 को पारित आदेश के आलोक में दायर किया गया है।<br>उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी का कथन है कि राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत जिला परियोजना सहायक के पद पर जिला प्रोग्राम कार्यालय (ICDS), कटिहार में पदस्थापित थी। दिनांक–23.03.2022 से 26.03.2022 तक आकस्मिक/विशेष अवकाश में थी। इनकी सास की तबीयत खराब हो जाने के कारण इन्होंने दिनांक–28.03.2022 से अवैतनिक अवकाश आवेदन समर्पित किया। किन्तु जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–393 दिनांक–29.03.2022 द्वारा इसे अस्वीकृत करते हुए कार्य पर उपस्थित होने का निदेश दिया गया। सास की अस्वस्थता के कारण इन्होंने पुनः अर्जित/अवैतनिक अवकाश हेतु ई–मेल द्वारा आवेदन समर्पित किया। कार्यालय पत्रांक–454/प्रो0 दिनांक–08.04.2022 द्वारा दिनांक–12.04.2022 तक कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिया गया। सास की स्थिति को देखते हुए इनके द्वारा कर्त्तव्य पर योगदान नहीं दिया गया। जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा इनके पक्षों की सुनवाई किये बगैर और इनके द्वारा सास की चिकित्सा का कोई साक्ष्य नहीं देने के आधार पर इन्हें पदमुक्त कर दिया गया। दिनांक–04.01.2021 से दिनांक–06.04.2021 तक बिना किसी सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने का मिथ्या आरोप भी लगाया गया। जबकि ये स्वयं बीमार थी एवं कोविड महामारी के सामान्य होने पर दिनांक–03.06.2021 को योगदान समर्पित किया गया। किन्तु दिनांक–16.08.2021 तक इन्हें उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज नहीं करने दिया। दो माह बाद Medical Board द्वारा इनके जाँचोपरांत इन्हें शपथ–पत्र देने हेतु बाध्य किया गया, तत्पश्चात् इन्हें दिनांक–17.08.2021 से उपस्थिति दर्ज करने की अनुमति दी गई। इन्हें कार्यालय द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता रहा। इनके विरूद्ध अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप सही | |

Web Copy, Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | नहीं है। यह सत्य है कि सास की अस्वस्थता के कारण इनके द्वारा कई बार अवकाश आवेदन दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग एवं समाज कल्याण के<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>07.12.2023 | संकल्प के आलोक में संविदा कर्मी को अनुमान्य अवकाश से वंचित रखा गया। ये दिनांक–29.01.2018 से जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) कार्यालय में कार्यरत हैं। इनके पक्ष में लगभग 64 दिनों का अर्जित अवकाश संचित है एवं प्रति वर्ष 30 दिन अवैतनिक अवकाश भी अनुमान्य है। इनके द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत् जिला समन्वयक (DC) के पद हेतु जिला पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष समर्पित आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं किये जाने के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No.-15777/21 दायर किया गया। जिसे वापस लेने हेतु इनपर दबाव बनाया गया। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।<br>दूसरी तरफ जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पत्रांक–1571 दिनांक–11.09.2023 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए स्पष्ट किया है कि इनके द्वारा आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश हेतु आवेदन समर्पित करते हुए अवकाश पर चली गई। दिनांक–28.03.2022 से इनका अवैतनिक अवकाश अस्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप अपनी सास की अस्वस्थता का हवाला देते हुए कार्य पर उपस्थित नहीं हुई। किन्तु इनके द्वारा अपनी सास की अस्वस्थता संबंधी कोई भी चिकित्सकीय कागजात संलग्न नहीं किया गया। इससे पूर्व अपीलार्थी द्वारा अनुशासनहीनता दर्शाते हुए दिनांक–04.01.2021 से दिनांक–02.06.2021 तक लगातार बिना कोई सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रही हैं। उक्त के संबंध में सहायक निदेशक (ICDS), बिहार, पटना के पत्रांक–3361 दिनांक–08.07.2021 के आलोक में दिनांक–02.08.2021 को जिला स्तरीय चयन समिति, कटिहार की बैठक में श्रीमति भारती से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्णय लिया गया कि भविष्य में अनाधिकृत रूप से बिना अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहती है तो इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए इन्हें पद से मुक्त कर दिया जायेगा। अपीलार्थी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया गया है। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–3445 दिनांक–09.09.2020 के अनुसार प्रतिवर्ष अधिकतम 30 दिन का अवैतनिक अवकाश देय होगा। साथ ही उक्त पत्र की कंडिका–2(ii) में स्पष्ट है कि अवकाश किसी भी कर्मचारी का अधिकार नहीं है। अतः अवकाश पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा इसकी अवहेलना की गई है। इनके द्वारा बिना विधिवत् अवकाश स्वीकृत कराये लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना, इनकी कर्त्तव्यहीनता, अनुशासनहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता का परिचायक है। फलतः जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा वर्णित वस्तुस्थिति के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा विधिवत् सक्षम पदाधिकारी से बिना | |

Web copy. Not Official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | अवकाश स्वीकृत कराये कार्यालय से अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें अपने पद से चयनमुक्त किया गया है। अपीलार्थी द्वारा उठायी गई अन्य बातें निराधार एवं तथ्यहीन है। अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुकूल दंड संसूचित किया गया है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य बताया<br>क्रमशः | |
| | लगातार<br>07.12.2023 | गया है।<br>उभय पक्षों को सुनने, निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के अवलोकन तथा समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांक–23.03.2022 से दिनांक–26.03.2022 तक आकस्मिक/विशेष अवकाश में थी। इनकी सास की तबियत खराब हो जाने के कारण इनके द्वारा दिनांक–28.03.2022 से अवैतनिक अवकाश आवेदन समर्पित किया गया, किन्तु जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा इनके आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इन्हें कार्य पर वापस लौटने का निदेश दिया गया। अपीलार्थी के सास की तबियत यदि खराब थी तो इन्हें चिकित्सा पूर्जा के साथ अपने वरीय पदाधिकारी से मिलकर विधिवत् अवकाश स्वीकृत कराना चाहिए था जबकि ये मात्र अवकाश आवेदन भेजती रही। जिला पदाधिकारी, कटिहार ने पाया है कि अपीलार्थी द्वारा बिना अवकाश स्वीकृत कराये लगातार अनाधिकृत अनुपस्थित रहना इनकी अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना है जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। दूरभाष पर भी इनसे संपर्क किये जाने पर इनका कोई साकारात्मक प्रतिफल नहीं मिला। अपीलार्थी का उक्त आचरण इनकी हठधर्मिता का द्योतक है, जो सरकारी सेवक के आचरण के सर्वथा प्रतिकूल है। इस प्रकार जिला पदाधिकारी, कटिहार द्वारा पारित आदेश नियमानुकूल एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है।<br>अतः उपर्युक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाते हुए इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निम्न न्यायालय आदेश को संपुष्ट करते हुए अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति जिला पदाधिकारी, कटिहार को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।<br>लेखापित एवं शुद्धित।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।<br><br>आयुक्त,<br>पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। | |

Web copy, not official.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

Web Copy. Not Official.